Receipt
No. 1812 Date 6/3/2020
Signature ...
Office of the Vice-Chancellor
N.D.U.A.T., Kumarganj, Ayodhya (U.P.)

File No. 67-1008(002)/26/2019- -1- (Computer No. 333301)

Letter from Govt.of UP for audit of State Agriculture University by Auditor General ,Uttar Pradesh

संख्या-384976/67-कृशिअ-19-1008(002)/2019

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।

DAM/Comptroller
Registrar

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 05 मार्च ~~जनवरी~~,2020

विषय- राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा के संबंध में।

Vice Chancellor

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2, के शासनादेश सं0-2/2019/आडिट-2-1053/दस-2019-355(5)2018 दिनांक 01.10.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा हेतु वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

संख्या-384976(1)/67-कृशिअ-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संख्या- 2/2019/आडिट-2-1053/दस-2019-355(5)/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा/औद्योगिक विकास/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/प्राविधिक शिक्षा/पशुधन/दिव्यॉग सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0शासन।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2019

विषयः- राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

द कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल (ड्यूटीज पावर्स एण्ड कण्डीशन्स आफ सर्विस) एक्ट-1971 (यथा संशोधित) की धारा-20 के प्राविधानों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0	विभाग	विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3
1	उच्च शिक्षा	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2	उच्च शिक्षा	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3	उच्च शिक्षा	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4	उच्च शिक्षा	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5	उच्च शिक्षा	चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6	उच्च शिक्षा	उ0प्र0 राजर्षि टन्डन ओपेन विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7	उच्च शिक्षा	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
8	उच्च शिक्षा	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर।
9	उच्च शिक्षा	महात्मा गॉधी काशी विधापीठ, वाराणसी।
10	उच्च शिक्षा	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11	उच्च शिक्षा	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
12	उच्च शिक्षा	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
13	उच्च शिक्षा	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
14	औद्यौगिक विकास	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
15	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या।
16	कृषि शिक्षा एवं	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

	अनुसंधान	
17	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ।
18	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा।
19	प्राविधिक शिक्षा	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
20	प्राविधिक शिक्षा	हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
21	प्राविधिक शिक्षा	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
22	पशुधन	पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
23	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2- उक्त के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा अब निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जायेगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विश्वविद्यालयो की नियमावली में लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्राविधानों में आप द्वारा यथावश्यक संशोधन कराया जाये तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयो को यह भी निर्देशित किया जाये कि उनके द्वारा अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से सम्पादित की जाये।

भवदीय

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2019/आडिट-2-1053(1)/दस-2019-355(5)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हरिश्चन्द्र
संयुक्त सचिव।

~~प्रमाणकृत~~

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–1)
उ0प्र0, इलाहाबाद

पत्रांक–ए0एम0जी0–II (E-i)/ले0प0प्र0सं0/03/2020–21/04

External audit for the period 2014-2019

दिनांक– 24-02-2021

सेवा मे,

आचार्य,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, अयोध्या

विषयः–नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य अधिकार एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराना है कि कार्यालय आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के माह 04/2014 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा दिनांक 06.03.2020 से 19.03.2020 तक एवं पुनः दिनांक 04.01.2021 से 25.01.2021 तक सम्पादित किया गया। उक्त इकाई के जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को इस आशय के साथ आपको प्रषित किया जा रहा है कि इसकी अनुपालन आख्या भाग–2 (अ) की शासन एवं भाग–2 (ब) की उच्चतर अधिकारी के अनुशंसा के साथ प्राप्ति तिथि के एक माह के अंदर कार्यालय को प्रेषित कर देवें।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे ऑडिट आपत्ति से संबधित भाग–2 (अ) के **तीन** प्रस्तर एवं भाग–2 (ब) के **सत्रह** प्रस्तर सम्मिलित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

24/2/21

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0–II/ ई–(i)

पत्रांक– ए0एम0जी0–II (E-i)/ले0प0प्र0सं0/03/2020–21/ दिनांक–

1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0–II/ ई–(i)

24/2/21